



संख्या 1645/जी0एस0(शिक्षा)/A3-1(2)/2019

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 02 फर
अप्रैल, 2024

महोदय,

कृपया कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पत्र संख्या 435, दिनांक 27.02.2024 एवं कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 240223070532, दिनांक 07.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आर0एल0एस0 मैमोरियल डिग्री कॉलेज, किशनपुर, जसपुर, ऊधम सिंह नगर को बी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2022-23 एवं 2023-24 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराये गये हैं।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	आर0एल0एस0 मैमोरियल डिग्री कॉलेज, किशनपुर, जसपुर, ऊधम सिंह नगर।	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, चित्रकला, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र)	240 सीट प्रति सत्र	2022-23 एवं 2023-24

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, संस्थान में अग्रेत्तर सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व प्राभूति राशि मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा, यदि अग्रेत्तर सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व प्राभूति सम्बन्धी मानक पूर्ण नहीं कराये जाते हैं, तो विषयांकित पाठ्यक्रमों के अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय को होगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण

दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman

Date: 02-05-2024 18:31:16

(रविनाथ रामन)

कुलाधिपति के सचिव

संख्या : 1645(1) / जी०एस०(शिक्षा) / A3-1(2) / 2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य-सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

- ६० -

(स्वाति एस० भदौरिया)

कुलाधिपति के अपर सचिव।